

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3550

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया गया

बैंकों का विलय

3550. श्री सदाशिव किसान लोखंडे:

श्री पी.आर. नटराजन:

डॉ. भारती प्रवीण पवार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बैंक विलय नीति के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) क्या सरकारी क्षेत्र बैंक नीति के विलय के कारण बैंकों की अनेक शाखाएं बंद हो गई हैं तथा यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त बैंकों के बंद होने के कारण ग्रामीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा इसके क्या परिणाम रहे हैं; और
- (घ) उक्त स्थानों पर बैंकों के बंद होने से प्रभावित ग्रामीण लोगों और किसानों हेतु किस प्रकार के वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): बैंकों के समामेलन का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समेकन को सुकर बनाना है ताकि ग्राहकों के लिए व्यापक उत्पाद तथा सेवाएं देने के साथ-साथ सामंजस्य का लाभ तथा बड़े पैमाने पर किफायतें प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए बैंकों को सशक्त तथा प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

विजया बैंक तथा देना बैंक का समामेलन दिनांक 1.4.2019 को बैंक आफ बड़ौदा में किया गया। बीओबी से प्राप्त सूचना के अनुसार, बीओबी में समामेलित होने वाले बैंकों अर्थात् पूर्व के देना बैंक (इडीबी) तथा विजया बैंक (इवीबी) की शाखाओं की कुल संख्या जो दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार 9447, थी, समामेलित इकाई के रूप में दिनांक 29.2.2020 को बढ़कर 9,481 हो गई तथा इस अवधि के दौरान ग्रामीण शाखाओं की संख्या 2,930 से बढ़कर 2,934 हो गई। दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार, बीओबी, इडीबी तथा इवीबी की कुल बैंक शाखाओं की राज्य-वार स्थिति की तुलना में दिनांक 28.2.2020 की स्थिति के अनुसार, समामेलित संस्था के बैंक शाखाओं की राज्य-वार स्थिति **अनुबंध** में है। इसके अतिरिक्त, बीओबी ने सूचित किया है कि समामेलन के बाद समामेलित से बैंक की ग्रामीण उपस्थिति में भी वृद्धि हुई है तथा ग्रामीण लोगों और किसानों के साथ पहुंच में वृद्धि तथा बढ़े हुए व्यवसाय के फलस्वरूप स्पष्ट लाभ हुआ है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में 4,253 करोड़ रुपए बढ़कर 2,23,128 करोड़ रुपए हो गया है, दिनांक 7.3.2020 की स्थिति के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड का संचयी शेष 1796 करोड़ रुपए बढ़कर 38,325 करोड़ रुपए हो गया है तथा समामेलन के बाद 11 महीनों में कृषि ऋण संवितरण में 46,690 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना खातों में ओवरड्राफ्ट राशि अग्रिम के माध्यम से ऋण की पहुंच में 11.38 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31.03.2019				29.02.2020
	बीओबी	इडीबी	इवीबी	कल	बीओबी
अंडमान और निकोबार	1	2	2	5	5
आंध्र प्रदेश	131	28	129	288	287
अरुणाचल प्रदेश	1		5	6	6
असम	36	11	24	71	71
बिहार	242	45	36	323	327
चंडीगढ़	13	2	4	19	19
छत्तीसगढ़	93	115	32	240	241
दादरा नगर हवेली	5	10	1	16	16
दमन और दीव	4	3	1	8	8
दिल्ली	132	46	68	246	252
गोवा	32	18	9	59	59
गुजरात	1,015	610	109	1,734	1,735
हरियाणा	104	43	52	199	200
हिमाचल प्रदेश	25	7	10	42	42
जम्मू और कश्मीर	6	3	4	13	13
झारखंड	94	22	16	132	132
कर्नाटक	124	62	601	787	791
केरल	112	16	131	259	259
मध्य प्रदेश	199	69	72	340	343
महाराष्ट्र	513	312	166	991	994
मणिपुर	10	1	5	16	16
मेघालय	5	1	4	10	10
मिजोरम	2		3	5	5
नागालैंड	6	1	6	13	13
ओडिशा	135	22	35	192	195
पांडिचेरी	3	1	2	6	6
पंजाब	109	48	60	217	218
राजस्थान	597	49	69	715	715
सिक्किम	3	2	1	6	6
तमिलनाडु	202	44	144	390	391
तेलंगाना	80	25	91	196	195
त्रिपुरा	4	1	4	9	9
उत्तर प्रदेश	1,174	84	153	1,411	1,418
उत्तराखंड	124	18	15	157	157
पश्चिम बंगाल	217	54	55	326	327
कल	5,553	1,775	2,119	9,447	9,481
जिनमें से: - ग्रामीण	1,845	576	509	2,930	2,934